2032
नि.सहा./ ... /
दिनांक 07/12/18

प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 30/11/2018

क्रमांक/2319/3590/2018/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. सी.पी. तिवारी, चिकित्सा अधिकारी, वर्तमान में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा स्वयं के स्वास्थ्य कारण से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 16.01.2018 के आधार पर डॉ. सी.पी. तिवारी को दिनांक **01.10.2018** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. सी.पी. तिवारी के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भागीरथ सुनहरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अ. सं. (प्रशा.) जा. क्र. 660
दिनांक 7-12-18

पृ0 क्रमांक/2320/3590/2018/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 30/11/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क0 3190 दिनांक 03.11.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. संचालक, चिकित्सा सेवायें/चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, भोपाल म.प्र.।
8. अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल म.प्र.।
10. डॉ. सी.पी. तिवारी, चिकित्सा अधिकारी, वर्तमान में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

AD(A)

11. स्टाक फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

VRS

प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक 24/11/2018

क्रमांक/2287/4119/2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. नरेन्द्र कुमार शर्मा, मेडिकल विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सतना द्वारा स्वयं एवं पत्नि के स्वास्थ्य कारण से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 31.05.2018 के आधार पर डॉ. नरेन्द्र कुमार शर्मा को दिनांक **31.08.2018** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. नरेन्द्र कुमार शर्मा के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भागीरथ सुनहरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
01 DEC 2018
आवक क्र. 5719

पृ0 क्रमांक/2288/4119/2018/सत्रह/मेडि-1, **भोपाल, दिनांक 24/11/2018**

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क0 3093 दिनांक 22.10.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, सतना म.प्र.।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सतना म.प्र.।
8. डॉ. नरेन्द्र कुमार शर्मा, मेडिकल विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सतना।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9. स्टाक फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

MIS

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक 6 / 11 / 2018

क्रमांक / 2229 / 3659 / 2018 / सत्रह / मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. जी.एस. मुजाल्दा, रेडियोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय खरगौन द्वारा पारिवारिक कारण से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु दिनांक 02.11.2016 को प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर डॉ. जी.एस. मुजाल्दा को दिनांक **02.11.2016** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भागीरथ सुनहरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक / 2230 / 3659 / 2018 / सत्रह / मेडि–1, भोपाल, दिनांक 6 / 11 / 2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी / राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र0 3230 दिनांक 05.11.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगौन म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला खरगौन म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला खरगौन म.प्र. ।
9. डॉ. गोविन्द मुजाल्दा, रेडियोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय खरगौन म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Health & Family Welfare

प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक   /11/2018

क्रमांक एफ 04—12/2018/सत्रह/मेडि—1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. ए.एन. वाजपेयी, अस्थिरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय खण्डवा द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 13.10.2017 के आधार पर डॉ. ए.एन. वाजपेयी को दिनांक **30.11.2017** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. ए.एन. वाजपेयी के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
09 NOV 2018
5663
आवक क्र.

A.D/(15)

09.11.18

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 04—12/2018/सत्रह/मेडि—1, **भोपाल, दिनांक** 6 **/11/2018**

प्रतिलिपि :—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क0 2710 दिनांक 17.09.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डवा म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, खण्डवा म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला खण्डवा म.प्र. ।
9. डॉ. ए.एन. वाजपेयी, अस्थिरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय खण्डवा म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Health & Family Welfare

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /09/2018

क्रमांक एफ 04—11/2018/सत्रह/मेडि—1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. आर.एम. त्रिपाठी, शिशुरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सीधी द्वारा स्वयं की बीमारी के कारण से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 24.04.2018 के आधार पर डॉ. आर. एम.त्रिपाठी को दिनांक **31.07.2018** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. आर.एम. त्रिपाठी, के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
03 OCT 2018
5493
आवक क्र.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 04—11/2018/सत्रह/मेडि—1, **भोपाल, दिनांक 26 /09/2018**

प्रतिलिपि :—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क0 2390 दिनांक 25.08.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
7. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सीधी म.प्र. ।
9. डॉ. आर.एम. त्रिपाठी, शिशुरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सीधी म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

VRS

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2018 / भोपाल, दिनांक / / 2018

प्रति,

सिविल सर्जन सह
मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला– भिण्ड, म0प्र0

विषयः– डॉ0 चित्रा महेश्वरी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, भिण्ड के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र कमांक / पेंशन / 2018 / 345–45, दिनांक 18.01.2018

000–000

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके तहत डॉ0 चित्रा महेश्वरी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय भिण्ड को दिनांक 01.03.2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करने का लेख किया गया है।

डॉ0 चित्रा महेश्वरी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 19.11.1991 एवं इनके द्वारा दिनांक 01.03.2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही गई है। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ 9–4 / 2016 / नियम–चार, दिनांक 09.09.2016 के तहत चिकित्सा अधिकारियों की अर्हताकारी सेवा 30 वर्ष होना आवश्यक है।

डॉ0 चित्रा महेश्वरी कुल सेवा अवधि लगभग 25 वर्ष होने के कारण इनको स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

अतः डॉ0 चित्रा महेश्वरी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय भिण्ड का स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से संबंधित प्रकरण अमान्य किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित–

हस्ता/-
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2018 / 1583 भोपाल, दिनांक 3 / 10 / 2018

प्रतिलिपिः–

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
03. डॉ0 चित्रा महेश्वरी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय भिण्ड म0प्र0 की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ।
04. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

1/10/18
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

नि.सहा./स्वा.आयुक्त/1167
दिनांक 10/09/18

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक 6/09/2018

क्रमांक एफ 04–10/2018/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. श्रीमती छाया जोशी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, उप संचालक, स्थानीय कार्यालय द्वारा स्वयं की बीमारी के कारण से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 02.08.2018 के आधार पर डॉ. श्रीमती छाया जोशी को दिनांक **04.09.2018** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. श्रीमती छाया जोशी, के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

उप. सेवा (प्रशा.) जा. क्र. 5134
दिनांक 10-9-18

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 04–10/2018/सत्रह/मेडि–1, **भोपाल, दिनांक 6/09/2018**

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र0 2412 दिनांक 27.08.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
7. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल म.प्र. ।
9. डॉ. श्रीमती छाया जोशी, स्त्रीरोग, उप संचालक, स्थानीय कार्यालय, भोपाल म.प्र.

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

AN
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

22 SEP 2018

A.D (Admn)

Health & Family Welfare

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्रं/4/कार्या.स्था/सेल–1/2018/ भोपाल, दिनांक / /2018

//आदेश//

श्री शंकर सिंह, सहायक ग्रेड–2, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल को मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) रूल्स 1976 के नियम 42.1.(A) के अंतर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2018 के आधार पर दिनांक 31.07.2018 से इस शर्त के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किया जाता है कि यदि उनसे कोई शासकीय धन राशि की वसूली शेष हो तो वह उन्हें देय उपादान की राशि से समायोजित की जावेंगी।

मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) रूल्स 1976 के नियम 10 (1) के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से 02 वर्ष तक बिना शासन पुर्वानुमति के कोई व्यावसायिक रोजगार करने की पात्रता नहीं होगी। यदि शासन की पूर्वानुमति के बिना कोई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की तिथि से 02 वर्ष की समाप्ति के पूर्व कोई व्यावसायिक रोजगार ग्रहण किया जाता है तो संबंधित की पूर्ण पेंशन अथवा पेंशन के अंश को रोका जा सकता है।

श्री शंकर सिंह, सहायक ग्रेड–2, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल को दिनांक 31.07.2018 से शासकीय सेवा से भारमुक्त माना जावेगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रं/4/कार्या.स्था/सेल–1/2018/1609 भोपाल, दिनांक 04/08/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें स्थानीय कार्यालय।
3. अपर संचालक, (वित्त/पेंशन) स्थानीय कार्यालय।
4. महालेखाकार, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
5. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन भोपाल।
6. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन भोपाल।
7. संयुक्त संचालक कार्यालय स्थापना स्थानीय कार्यालय।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय।
9. श्री शंकर सिंह, सहायक ग्रेड–2, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल।
10. प्रभारी एन.आई.सी. को निर्देशित किया जाता है, उपरोक्त आदेश को विभाग की बेवसाइड पर अपलोड करें ।
11. सेल–3/पेंशन सेल कार्यालय स्थापना शाखा स्थानीय कार्यालय।
12. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

5/8/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
AD 5
02 JUL 2018
आवक क्र. 4782

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /06/2018

क्रमांक/ /2639/2018/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. सुरेश कुमार भदकारिया, उप संचालक, कार्यालय–क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारिवारिक कारण से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 04.05.2018 के आधार पर डॉ. सुरेश कुमार भदकारिया को दिनांक **31.07.2018** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. सुरेश कुमार भदकारिया, के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भागीरथ सुनहरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अप. संचा. (प्रशा.) जा. क्र. 3618
दिनांक 2-7-18

पृ0 क्रमांक/1584/2639/2018/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 30/06/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र0 1596 दिनांक 21.06.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ग्वालियर म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला ग्वालियर म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला ग्वालियर म.प्र. ।
9. डॉ. सुरेश कुमार भदकारिया, उप संचालक, कार्यालय–क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
AD G
02
आवक क्र. 4784

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक / 06 / 2018

क्रमांक / / 2859 / 2017 / सत्रह / मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. मनू दीक्षित, मेडिकल ऑफिसर, जिला चिकित्सालय भिण्ड द्वारा स्वयं की बीमारी के कारण से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 02.02.2016 के आधार पर डॉ. मनू दीक्षित को दिनांक **02.03.2016** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. मनू दीक्षित, के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भागीरथ सुनहरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक / 1588 / 2859 / 2017 / सत्रह / मेडि–1, **भोपाल, दिनांक 30 / 06 / 2018**

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी / राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र0 1590 दिनांक 21.06.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भिण्ड म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भिण्ड म.प्र. ।
9. डॉ. मनू दीक्षित, मेडिकल ऑफिसर, जिला चिकित्सालय भिण्ड म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Dy.D (G)

190

VRS

संचालनालय स्वा... सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
29 JUN 2018
4754
आवक क्र.

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /06/2018

क्रमांक एफ 4— /2018/सत्रह/मेडि—1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. डी.एस. सोलंकी, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय खरगौन द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 05.01.2018 के आधार पर डॉ. डी.एस. सोलंकी को दिनांक **20.07.2018** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. डी.एस. सोलंकी, के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

**मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,**

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अप. संचा. (स्था.) जा. क्र. 3564
दिनांक 30-6-18

पृ0 क्रमांक ~~एफ 4—~~ 1544/2471 /2018/सत्रह/मेडि—1, भोपाल, दिनांक 27/06/2018

प्रतिलिपि :—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क0 1547 दिनांक 13.06.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगौन म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला खरगौन म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला खरगौन म.प्र. ।
9. डॉ. डी.एस. सोलंकी, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय खरगौन म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Dy. D. (G)

VRS

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /06/2018

क्रमांक एफ 4— /2018/सत्रह/मेडि—1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. के.सी. व्यास, दन्त रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय उज्जैन द्वारा पारिवारिक कारण से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 23.04.2018 के आधार पर डॉ. के.सी. व्यास को दिनांक **01.06.2018** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. के.सी. व्यास, के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 4— 1546/2205 /2018/सत्रह/मेडि—1, **भोपाल, दिनांक 27/06/2018**

प्रतिलिपि :—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क0 1398 दिनांक 31.05.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उज्जैन म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन म.प्र. ।
9. डॉ. के.सी. व्यास, दन्त रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय उज्जैन म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
12 JUN 2018
4615
आवक क्र.

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक 11 /06/2018

क्रमांक एफ 2–3/2018/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. अरूण कुमार जैन, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय पन्ना द्वारा पारिवारिक एवं स्वयं के स्वास्थ्य कारण से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 24.08.2017 के आधार पर डॉ. अरूण कुमार जैन को दिनांक **25.10.2017** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. अरूण कुमार जैन, के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अंजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 2–3/2018/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 11 /06/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क0 1178 दिनांक 15.05.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करनें का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला पन्ना म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला पन्ना म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला पन्ना, म.प्र. ।
9. डॉ. अरूण कुमार जैन, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय पन्ना म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

AD ES
08 JUN 2018
4594

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /06/2018

क्रमांक एफ 4–4/2018/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. टी.सी. कलवानी, चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.के. सांईखेड़ा जिला नरसिंहपुर द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 19.1.2018 के आधार पर डॉ. टी.सी. कलवानी को दिनांक **01.05.2018** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. टी.सी. कलवानी, के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 4–4/2018/सत्रह/मेडि–1, **भोपाल, दिनांक 6 /06/2018**

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र0 1245 दिनांक 21.05.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड़ कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नरसिंहपुर म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला नरसिंहपुर म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला नरसिंहपुर, म.प्र. ।
9. डॉ. टी.सी. कलवानी, चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.के. सांईखेड़ा जिला नरसिंहपुर म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक 28/04/2018

क्रमांक एफ 02–02/2018/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. श्रीमती अलका निखार, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय दमोह द्वारा स्वास्थ्य कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 31.05.2017 के आधार पर डॉ. श्रीमती अलका निखार को दिनांक 01.07.2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. (श्रीमती) अलका निखार, के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 02–02/2018/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 28/04/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क0 512 दिनांक 26.3.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला दमोह म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला दमोह, म.प्र.।
9. डॉ. श्रीमती अलका निखार, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय दमोह म.प्र.।
10. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 16/04/2018

क्रमांक/831/586/2017/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. पी.डी. गुप्ता, मेडिकल विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय शिवपुरी द्वारा पारिवारिक एवं निजी कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर डॉ. पी.डी. गुप्ता को दिनांक 01.12.2016 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक/832/586/2017/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 16/04/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक शिवपुरी म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला शिवपुरी म.प्र.।
9. डॉ. पी.डी. गुप्ता, मेडिकल विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय शिवपुरी म.प्र.।
10. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

AN
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
ADHS
01 MAR 2018
आवक क्र. 3624

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /02/2018

क्रमांक एफ 11–04/2018/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. बी.पी. सक्सेना, दन्त चिकित्सक, सिविल अस्पताल ब्यावरा जिला राजगढ़ द्वारा पारिवारिक एवं निजी कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर डॉ. बी.पी. सक्सेना को दिनांक 01.08.2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 11–04/2018/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 28/02/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक राजगढ़ म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला राजगढ़, म.प्र.।
9. डॉ. बी.पी. सक्सेना, दन्त चिकित्सक, सिविल अस्पताल ब्यावरा जिला राजगढ़ म.प्र.।
10. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DY.D (G)

VRS

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

– :: संशोधन आदेश :: –

भोपाल, दिनांक /2/2018

क्रमांक /3522/2017/सत्रह/मेडि–1::विभागीय आदेश क्रमांक 2745/3522/2017/सत्रह/मेडि–1 दिनांक 15.11.2017 द्वारा डॉ. ए.के. अरोरा, चिकित्सा अधिकारी, सिविल डिस्पेंसरी, दीनदयाल नगर जि ग्वालियर की स्वैच्छिक से0नि0 दिनांक 15.03.2013 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश दिनांक 15.03.2015 अंकित की गई है।

2/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त आदेश दिनांक 15.11.2017 में डॉ. ए.के. अरोरा की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति तिथि **15.03.2013** पढ़े जाने का आंशिक संशोधन किया जाता है।

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक 571 /3522/2017/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 26/2/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर म.प्र.।
7. मरव्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर म प्र ।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला ग्वालियर म.प्र. ।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला ग्वालियर, म.प्र. ।
10. डॉ. ए.के. अरोरा, चिकित्सा अधिकारी, सिविल डिस्पेंसरी, दीनदयाल नगर जिला ग्वालियर ।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

AN
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

//Surjeet//Cu O

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
<u>मंत्रालय</u>

<u>—:: आदेश ::—</u>

भोपाल, दिनांक 3 / 02 / 2018

क्रमांक एफ 11—01 / 2018 / सत्रह / मेडि—1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. बी.बी.एस. दिखित, निश्चेतना विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, कटनी द्वारा पारिवारिक कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर डॉ. बी.बी.एस. दिखित को दिनांक 31.08.2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 11—01 / 2018 / सत्रह / मेडि—1, भोपाल, दिनांक 3 / 02 / 2018

<u>प्रतिलिपि</u> :—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी / राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कटनी म.प्र. ।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला कटनी म.प्र. ।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कटनी, म.प्र. ।
10. डॉ. बी.बी.एस. दिखित, निश्चेतना विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, कटनी म.प्र.।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /01/2018

क्रमांक एफ 11–03/2018/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. नवल किशोर नेमा, चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय जेल सतना द्वारा स्वास्थ्य कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर डॉ. नवल किशोर नेमा को दिनांक 31.1.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 11–03/2018/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 30/01/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल सतना, म.प्र.।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
8. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र. ।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सतना, म.प्र. ।
10. डॉ. नवल किशोर नेमा, चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय जेल सतना म.प्र.।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

VRS

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /01/2018

क्रमांक एफ 11–02/2018/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. गणेश प्रसाद नेमा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सागर द्वारा स्वास्थ्य कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर डॉ. गणेश प्रसाद नेमा को दिनांक 01.08.2016 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 11–02/2018/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 30/01/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सागर म.प्र. ।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सागर म.प्र. ।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सागर, म.प्र. ।
10. डॉ. गणेश प्रसाद नेमा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सागर म.प्र.।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग